

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

कोटेशन आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में सांस्कृतिक गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष-2019-20 के लिए सांस्कृतिक कैलेण्डर निर्धारित किया गया है। उक्त कैलेण्डर का मुद्रण कार्य कराया जाना है। एतद् संबंधी विशिष्ट शर्तों एवं उपबंधों के अधीन अनुभवी एवं योग्य मुद्रकों से दिनांक-26.08.2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन सीलबंद अलग-अलग लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन अपराह्न 5.00 बजे विभागीय स्थायी क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें कोटेशनदाता उपस्थित रह सकते हैं।

1) शर्त एवं उपबंध :-

1. कोटेशनदाता को समान प्रकृति कार्य का अनुभव होना चाहिए। तकनीकी कोटेशन के साथ नमूना एवं पूर्व के सभी कार्यों का कार्यादेश की प्रति संलग्न होना चाहिए।
 2. कोटेशनदाता का प्रेस जी.एस.टी. एवं एस.एस.आई. से मुद्रक के रूप में निबंधित होना चाहिए।
 3. प्रकाशन सामग्रियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
 4. आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का संलग्न करना होगा।
 7. विशिष्टियों के कागज आदि का नमूना तकनीकी कोटेशन के साथ देना होगा।
 8. प्रकाश्य सामग्री विभाग से ससमय प्राप्त कर लेना होगा। शेष सभी सामग्री एवं कार्य की व्यवस्था कोटेशनदाता को अपने स्तर से करना होगा।
 9. उपर्युक्त सभी शर्तों का उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
 10. मुद्रित प्रतियाँ निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने/मुद्रण में त्रुटि/अस्पष्टता रहने, मजबूत बाईंडिंग नहीं होने, मुद्रित सामग्री ससमय आपूर्ति नहीं करने/कोटेशन शर्तों से विचलन आदि की स्थिति में भुगतये राशि से बिना कारण कटौती की जाएगी एवं फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 11. सभी अथवा किसी कोटेशन को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार विभागीय प्रधान सचिव को सुरक्षित रहेगा।
- क) पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, संगत वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।
- ग) जी.एस.टी. एवं एस.एस.आई. के द्वारा मुद्रक के रूप में निबंधित होने का प्रमाण।
- घ) कोटेशनदाता के पास अपना आधुनिक मल्टी कलर सीट ऑफसेट एवं बाईंडिंग सिस्टम की सभी सुविधाएँ उपलब्ध होने का प्रमाण।
- ड) कोटेशनदाता को अपने प्रेस की विशिष्टियों विभिन्न प्रकार की मशीनों की संख्या तथा उत्पादन क्षमता का विस्तृत ब्योरा देना होगा।